



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122021-231892
CG-DL-E-16122021-231892

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4837]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 2021/अग्रहायण 24, 1943

No. 4837]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021/AGRAHAYANA 24, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5218(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के वाई एस आर (कडपा) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.716 के कि.मी 153/200 पर पापगानी नदी पर प्रमुख पुल के निर्माण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के वाई एस आर (कडपा) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.716 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	रेवेन्यू डिविज़नल ऑफिसर, कडपा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH716 के कि.मी. 152.1 से 154.3 तक	आंध्र प्रदेश	वाई एस आर (कडपा)	कमलापुरम वल्लुर	1 कमलापुरम 1 लेबाका

[फा. सं. RW/NH-12014/22/2020-AP/ZONE-III]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2021

S.O. 5218(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for construction of major bridge across papagni river at Km. 153/200 of National Highway No.716 in the district of Y.S.R Kadapa in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No.716 in the district of Y.S.R Kadapa in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	REVENUE DIVISIONAL OFFICER, KADAPA	152.1 KM To 154.3 KM	ANDHRA PRADESH	Y . S . R . (Kadapa)	Kamalapuram Vallur	1 Kamalapuram 1 Lebaka

[F. No. RW/NH-12014/22/2020-AP/ZONE-III]

RAJESH GUPTA, Director